न्यायालय :विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) कम —13,
जयपुर महानगर, द्वितीय

पीठासीन अधिकारी : सुनीता यादव, आर.जे.एस.

प्रकरण संख्या : 526/2017

श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नि श्री राकेश शर्मा, निवासी— मकान नम्बर—57, भगत वाटिका— सैकिण्ड, सिविल लाईन्स, पुलिस थाना, सोडाला, जयपुर।

परिवादिया

बनाम

विजय सिंह कुलहरी पुत्र श्री नाहर सिंह कुलहरी, निवासी—73, शिवाजी नगर, सिविल लाईन, पुलिस थाना सोडाला, जयपुर।

अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम

उपस्थित —

परिवादिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष शर्मा।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उम्मेद खीचड़।

नि र्ण य दिनांक : 24—04—2023

1. हस्तगत प्रकरण का उद्‌भव परिवादिया श्रीमती कल्पना शर्मा की ओर से अभियुक्त विजय सिंह के विरूद्ध परिवाद दिनांक 15—02—2017 को अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट का पेश किया जाने से हुआ तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 29—04—2017 को उक्त आरोप का प्रसंज्ञान लिए जाने से नियमित आपराधिक प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर हुआ।

2. परिवाद पत्र के अनुसार मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि, अभियुक्त भू—कारोबारी है तथा भूखण्ड बेचने, कॉलोनी काटने का कार्य करते

हैं। अभियुक्त ने अपने द्वारा सृजित एवं काटी गयी कॉलोनी विज्ञान नगर, जगतपुरा में परिवादिया को एक भूखण्ड संख्या सी–5 का बेचना किया था तथा उक्त भूखण्ड को पूर्णतया पाक साफ बताया था। अभियुक्त के द्वारा भूखण्ड को पाक साफ बताने पर विश्वास करते हुये परिवादिया ने भूखण्ड पेटे चाही गयी सम्पूर्ण राशि अभियुक्त को नकद अदा कर दी थी। अभियुक्त ने राशि प्राप्ति रसीद दिनांक 11–07–1999 व भूखण्ड का पट्टा दिनांक 18–11–1999 परिवादिया के नाम से जारी कर उन्हें सौप दिया था। उक्त भूखण्ड 311.11 वर्गगज का था। पट्टा व रसीद सौंपते समय अभियुक्त ने यह आश्वासन दिया था कि मौके पर जमीन समतल करने व सड़क आदि का काम चल रहा है जो शीघ्र ही पूरा हो जावेगा तदोपरान्त मौके पर नाप कर भूखण्ड का भौतिक कब्जा एवं साईट प्लान परिवादिया को सम्भला दिया जावेगा। अभियुक्त ने उक्त भूखण्ड का लम्ब समय तक कब्जा नहीं दिया तो परिवादिया द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी देने पर अभियुक्त ने परिवादिया को बेचे गये उक्त भूखण्ड का कब्जा सम्भालने में असमर्थता जाहिर की एवं परिवादिया को अन्यत्र जगह भूखण्ड देने व शेष बची राशि परिवादिया को लौटाने का आश्वासन दिया। अभियुक्त ने उक्त प्रस्ताव के तहत परिवादिया से भूखण्ड संख्या सी–5 विज्ञान नगर, जगतपुरा के समस्त असल कागजात वापस ले लिये तथा उक्त भूखण्ड के बदले परिवादिया को एक भूखण्ड संख्या–33 विकास नगर, नेवटा में दिया तथा भूखण्ड के कागजात परिवादिया के नाम से बनाकर परिवादिया को सम्भला दिया तथा शेष राशि 20,00,000/– रुपये के भुगतान पेटे एक्सिस बैंक लि0, मालवीय नगर का स्वयं का हस्ताक्षरित एक अकाउन्ट पेयी चैक संख्या 011501, राशि 20,00,000/– रुपये दिनांकित 30–09–2016 का दिया तथा भुगतान होने का विश्वास दिलाया। परिवादिया ने उक्त चैक को भुगतान हेतु अपनी खातेदारी की बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा हवा सड़क, जयपुर में प्रस्तुत किया जो कि अपर्याप्त राशि के रिमार्क के साथ रिटर्न मीमो दिनांक 21–12–2016 सहित अनादरित लौटा दिया। चैक अनादरित होने पर परिवादिया ने अभियुक्त को उसके सही ज्ञात पते पर अपने अधिवक्ता के

माध्यम से एक लीगल नोटिस दिनांक 11–01–2017 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाया जो अभियुक्त को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी उक्त उधार ली गयी राशि का भुगतान परिवादिया को नहीं किया तथा ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया। अन्त में परिवादिया ने अभियुक्त का उक्त कृत्य अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त अपराध में दण्डित करते हुए परिवादिया को अभियुक्त से उक्त चैक राशि से दोगुनी राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया। अतः नियमानुसार परिवाद न्यायालय में पेश किया गया।

3. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्त को दिनांक 19–07–2017 को अपराध धारा 138 एन.आई. एक्ट की विशिष्ठियों का सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

4. परिवादिया साक्ष्य के दौरान परिवादिया ने मुख्य परीक्षण में अपना शपथ–पत्र पेश किया एवं स्वयं को पी. डब्ल्यू–01 कल्पना शर्मा के रूप में परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में **प्रदर्श पी–1 असल चैक, प्रदर्श पी–2 रिटर्न मीमो, प्रदर्श पी–3 विधिक नोटिस की प्रति, प्रदर्श पी–4 रजिस्ट्री रसीद, प्रदर्श पी–5 प्राप्ति स्वीकृति रसीद** को प्रदर्शित कराया गया। अधिवक्ता अभियुक्त को प्रतिपरीक्षण के अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त प्रतिपरीक्षण का अवसर बन्द किया गया। अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से परिवादिया से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। अन्य कोई गवाह प्रस्तुत ना करने पर साक्ष्य परिवादिया बन्द की गयी।

5. परिवादिया साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिनांक 17–11–2021 को लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य का गलत होना, गवाहों का झूठ बोलने का कथन करते हुए आगे कथन किया है कि, ''मैं निर्दोष हूं। झूंठा फंसाया गया है।'' अभियुक्त ने साक्ष्य प्रतिरक्षा में गवाह डी. डब्ल्यू–1 हनुमान

प्रसाद, गवाह डी.डब्ल्यू–2 बी.आर. राहिला, गवाह डी.डब्ल्यू–3 ओमप्रकाश शर्मा व स्वयं को गवाह डी.डब्ल्यू–4 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया।

6. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गयी।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादिया ने अपनी ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का हवाला देते हुए कथन किया है कि, अभियुक्त भू–कारोबारी है तथा भूखण्ड बेचने, कॉलोनी काटने का कार्य करता है। अभियुक्त ने भूखण्ड संख्या सी–5 को पूर्णतया पाक साफ बताते हुये परिवादिया को बेचना किया था जिसकी सम्पूर्ण राशि अभियुक्त को अदा कर दी गयी थी। अभियुक्त ने मौके पर जमीन समतल करने व सड़क आदि का काम पूरा हो जाने के बाद परिवादिया को भौतिक कब्जा सम्भलाने का आश्वासन दिया। इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा उक्त भूखण्ड का कब्जा परिवादिया को नहीं सम्भलाया गया। परिवादिया द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी देने पर अभियुक्त ने परिवादिया को बेचे गये उक्त भूखण्ड का कब्जा सम्भालने में असमर्थता जाहिर की एवं परिवादिया को अन्यत्र जगह भूखण्ड देने व शेष बची राशि परिवादिया को लौटाने का आश्वासन दिया। अभियुक्त ने उक्त प्रस्ताव के तहत परिवादिया से भूखण्ड संख्या सी–5 विज्ञान नगर, जगतपुरा के समस्त असल कागजात वापस ले लिये तथा उक्त भूखण्ड के बदले परिवादिया को एक भूखण्ड संख्या–33 विकास नगर, नेवटा में दिया तथा भूखण्ड के कागजात परिवादिया के नाम से बनाकर परिवादिया को सम्भला दिया तथा शेष राशि 20,00,000 / – रुपये के भुगतान पेटे एक्सिस बैंक लि0, मालवीय नगर का स्वयं का हस्ताक्षरित एक अकाउन्ट पेयी चैक संख्या 011501, राशि 20,00,000 / – रुपये दिनांकित 30–09–2016 का परिवादिया को दिया। जो परिवादिया द्वारा भुगतान प्राप्ति हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। जिस पर अभियुक्त को विधिक नोटिस परिवादिया द्वारा प्रेषित किया गया जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया। अभियुक्त

द्वारा परिवादी से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 06–06–2018 की आदेशिका में राजीनामे का कथन किया है इसका अर्थ अभियुक्त द्वारा चैक का निष्पादन स्वीकार किया गया है। अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। इस प्रकार परिवादिया का परिवाद पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्त ने परिवादिया के पक्ष में सृजित उपधारणा का किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं किया है अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर परिवादिया को बतौर प्रतिकर चैक से दुगुनी राशि अभियुक्त से दिलाई जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए मुख्यतः तर्क दिया कि, अभियुक्त परिवादिया को नहीं जानता ही नहीं है एवं उसका परिवादी को किसी प्रकार की कोई राशि दिये जाने का कोई विधिक दायित्व नहीं है। परिवादिया द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं जिनसे परिवादिया का परिवाद साबित होता हो। परिवादिया द्वारा जिन दस्तावेजों को वर्णन परिवाद में किया गया है उन दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया कि यदि परिवादिया द्वारा प्लॉट के बदले प्लॉट प्राप्त किया गया था तो 20 लाख रुपये की राशि क्यों प्रदान की गयी एवं परिवादी द्वारा परिवाद में किसी भी तथ्य के सम्बन्ध में कोई निर्धारित तिथि नहीं बतायी गयी है। परिवादिया द्वारा प्रेषित नोटिस की प्राप्ति अभियुक्त को नहीं हुई है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अपना बचाव साबित करने का कथन कर, अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

1. 2012(2) R.Cr.D. 360 (Raj.)
   Firm M/s Kanahiya Lal Ghamandi Lal vs Subhash
2. 2013 RCC (SC) 527
   Vijay vs Laxman & Anr.

9. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

'आया अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व की अदायगी पेटे परिवादिया को भुगतान राशि स्वरूप चैक, चैक संख्या 011501 दिनांक 30–09–2016 राशि 20,00,000/– बैंकर ऐक्सिस बैंक लि0, शाखा मालवीय नगर, जयपुर का स्वयं का हस्ताक्षरशुदा प्रदत्त किया व भुगतान होने का विश्वास दिलाया, जो कि अनादरित हुआ व नोटिस प्राप्ति उपरांत भी अभियुक्त ने विहित अवधि में चैक की राशि का भुगतान नहीं कर धारा 138 एन. आई.एक्ट के तहत अपराध का गठन किया है ?
यदि हां तो सजा क्या हो ?''

उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है :–

(क.) विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु अभियुक्त द्वारा अपने खाते का चैक दिया जाना,

(ख.) उक्त चैक का अपर्याप्त निधि या समवर्ती कारणों से अनादरित हो जाना,

(ग.) विहित समयावधि में नोटिस दिया जाकर अनादरित चैक राशि के सम्बन्ध में मांग करना, जिसके उपरान्त भी अभियुक्त द्वारा चैक की राशि का नहीं लौटाया जाना।

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के सम्बन्ध में निष्कर्ष हेतु सर्वप्रथम परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के गठन हेतु विधि द्वारा

अपेक्षित समस्त आहर्ताओं का एक साथ पूर्ण होना आवश्यक है। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के आवश्यक तत्वों का मूल्यांकन करने हेतु न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादिया को दिया गया तथा क्या विवादित चैक के सन्दर्भ में अभियुक्त का परिवादिया के प्रति विधिक दायित्व विद्यमान था।

11. विधिक दायित्व को स्थापित करने के सन्दर्भ में परिवादिया द्वारा परिवाद में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये अपने मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत शपथ–पत्र में यह कथन किया कि, अभियक्त भू–कारोबारी है तथा भूखण्ड बेचने, कॉलोनी काटने का कार्य करते हैं। अभियुक्त ने अपने द्वारा सृजित एवं काटी गयी कॉलोनी विज्ञान नगर, जगतपुरा में परिवादिया को एक भूखण्ड संख्या सी–5 का बेचना किया था तथा उक्त भूखण्ड को पूर्णतया पाक साफ बताया था। अभियुक्त के द्वारा भूखण्ड को पाक साफ बताने पर विश्वास करते हुये परिवादिया ने भूखण्ड पेटे चाही गयी सम्पूर्ण राशि अभियुक्त को नकद अदा कर दी थी। अभियुक्त ने राशि प्राप्ति रसीद दिनांक 11–07–1999 व भूखण्ड का पट्टा दिनांक 18–11–1999 परिवादिया के नाम से जारी कर उन्हें सौप दिया था। उक्त भूखण्ड 311.11 वर्गगज का था। पट्टा व रसीद सौंपते समय अभियुक्त ने यह आश्वासन दिया था कि मौके पर जमीन समतल करने व सड़क आदि का काम चल रहा है जो शीघ्र ही पूरा हो जावेगा तदोपरान्त मौके पर नाप कर भूखण्ड का भौतिक कब्जा एवं साईट प्लान परिवादिया को सम्भला दिया जावेगा। अभियुक्त ने उक्त भूखण्ड का लम्ब समय तक कब्जा नहीं दिया तो परिवादिया द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी देने पर अभियुक्त ने परिवादिया को बेचे गये उक्त भूखण्ड का कब्जा सम्भालने में असमर्थता जाहिर की एवं परिवादिया को अन्यत्र जगह भूखण्ड देने व शेष बची राशि परिवादिया को लौटाने का आश्वासन दिया। अभियुक्त ने उक्त प्रस्ताव के तहत परिवादिया से भूखण्ड संख्या सी–5 विज्ञान नगर, जगतपुरा के समस्त असल कागजात वापस ले लिये तथा उक्त भूखण्ड के बदले परिवादिया को एक भूखण्ड

संख्या–33 विकास नगर, नेवटा में दिया तथा भूखण्ड के कागजात परिवादिया के नाम से बनाकर परिवादिया को सम्भला दिया तथा शेष राशि 20,00,000/– रुपये के भुगतान पेटे एक्सिस बैंक लि0, मालवीय नगर का स्वयं का हस्ताक्षरित एक अकाउन्ट पेयी चैक संख्या 011501, राशि 20,00,000/– रुपये दिनांकित 30–09–2016 का दिया तथा भुगतान होने का विश्वास दिलाया। परिवादिया ने उक्त चैक को भुगतान हेतु अपनी खातेदारी की बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा हवा सड़क, जयपुर में प्रस्तुत किया जो कि अपर्याप्त राशि के रिमार्क के साथ रिटर्न मीमो दिनांक 21–12–2016 सहित अनादरित लौटा दिया। चैक अनादरित होने पर परिवादिया ने अभियुक्त को उसके सही ज्ञात पते पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक लीगल नोटिस दिनांक 11–01–2017 को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाया जो अभियुक्त को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी उक्त उधार ली गयी राशि का भुगतान परिवादिया को नहीं करने पर परिवादिया द्वारा दिनांक 15–02–2017 को हस्तगत प्रकरण न्यायालय में समय सीमा के भीतर पेश किया गया है। इस प्रकार से परिवादिया धारा 138 व 142 एनआई एक्ट के समस्त विधिक औपचारिकताओं की पालना की जानी दृष्टिगत है। जिसके अनुपालन में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 एनआई एक्ट में उपधारणा की जाती है।

12. अब न्यायालय को इस बात का विनिश्चय करना है कि क्या विवादित चैक के अनादरण पश्चात् विहित समयावधि में विधिक नोटिस परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिया गया था जिसके उपरान्त भी विवादित चैक का भुगतान अभियुक्त द्वारा परिवादी को नहीं दिया गया। उक्त के सन्दर्भ में दिनांक 21–12–2016 को चैक अनादरण के पश्चात् प्रदर्श पी–3 विधिक नोटिस विहित समयावधि के भीतर दिनांक 11–01–2017 को दिया जाना प्रकट होता है। उक्त विधिक नोटिस प्रदर्श पी–3 चैक राशि की मांग के सन्दर्भ में सक्षम साक्ष्य है जिसे भेजे जाने के सन्दर्भ में रजिस्ट्री की रसीद प्रदर्श पी–4 व प्राप्ति स्वीकृति रसीद प्रदर्श पी–5 से पुष्टि होती है। इस सन्दर्भ में अभियुक्त

का कहना है कि, उसे परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस की प्राप्ति नहीं हुई, परन्तु अभियुक्त ने अपने धारा 313 सीआरपीसी के बयानों में वहीं पता अंकित किया है जिस पते पर परिवादी द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मौजूद अभियुक्त के जमानत मुचलकों में भी वहीं पता अंकित है। इस प्रकार जाहिर है कि परिवादी ने अभियुक्त के ज्ञात सही पते पर विधिक नोटिस प्रेषित किया है। इस संबंध में माननीय न्यायिक दृष्टान्त **सी.सी.आल्वी हाजी बनाम पेलोपेटी मुहम्मद व अन्य 2007 (6) एससीसी 555** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोटिस की तामिल के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि नोटिस चैक के लेखीवाल के सही पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया गया हो वहां नोटिस की तामिल होना समझा जावेगा। अभियुक्त को सही पते पर नोटिस प्रेषित किया जाना स्पष्ट प्रकट होता है।

13. अभियुक्त द्वारा अपने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परीक्षण के दौरान कथन किया है कि ''मैं निर्दोष हूं। झूंठा फंसाया गया है।''उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा चैक निष्पादन के सन्दर्भ में कोई विशिष्ट कथन नहीं किया है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अभियुक्त द्वारा चैक के निष्पादन से इन्कार नहीं किया गया है।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त **बासालिंगप्पा बनाम मुद्दीबसप्पा C.R. Appeal No. 636 of 2019** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

> *"We having noticed the ratio laid down by this court in above cases on Section 118(a) and Section 139, we now summarise the principles enumerated by this court in following manner:-*
> *(i) once the execution of cheque is admitted Section 139 of the Act Mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability.*

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में यह विधिक स्थिति स्पष्ट है कि जब अभियुक्त द्वारा चैक का निष्पादन स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जावेगी कि प्रश्नगत चैक किसी विधिक ऋण अथवा दायित्व के पेटे दिया गया था।

15. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त विजय सिंह ने चैक पर हस्ताक्षर होने या चैक उसके खाते का होने के तथ्य से इन्कार नहीं किया है इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **के भास्कर बनाम शंकर विद्याबालन व अन्य 1999(7)एनसीसी पेज 510** में उपधारणा के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **''जब अभियुक्त द्वारा चैक पर हस्ताक्षर किया जाना स्वीकृत कर लिया जाता है तब धारा 118 परकाम्य लिखत अधिनियम में वर्णित उपधारणा आकृष्ट होगी ''**

धारा 118 परकाम्य लिखत अधिनियम के अनुसार :–

''प्रतिफल के विषय में यह कि हर एक परकाम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परकामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परकामित या अन्तरित की गई थी''

16. धारा 139 परकाम्य लिखत अधिनियम के अनुसार धारक के पक्ष में यह उपधारणा की गई है कि :–

'' यदि तत्प्रतिकूल साबित न हो तो ऐसी उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में उल्लेखित किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिये चैक प्राप्त किया था''

17. धारा 139 एन.आई.एक्ट न्यायालय पर यह भार डालती है कि वह उपधारणा करे कि चैक धारक ने ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु चैक प्राप्त किया था। यद्यपि उक्त सभी उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की है। उपधारणा खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है।

---

18. अब चूंकि धारक के पक्ष में विधिक दायित्व के सन्दर्भ में उपधारणा न्यायालय द्वारा की जा चुकी है तो अब पुनः न्यायिक दृष्टान्त **बासालिंगप्पा बनाम मुद्दीवसप्पा C.R. Appeal No. 636 of 2019 का अवलोकन सुसंगत होगाः–**

> *(1) The Presumption under Section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.*
>
> *(2) To rebut the Presumption, it is open for the accused to rely on evidence led by him or acccused can also rely on the materials submitted by the complainant in order to raise a probable defence. Inference of preponderance of probabities can be drawn not only from the materials brought on record by the parties but also by reference to the circumstances upon which then rely.*
>
> *(3) that it is not necessary for the accused to come in the witness box in support of his defence, Section 139 imposed an evidentiary burden and not a persuasive burden.*
>
> *(4) It is not necessary for the accused to come in the witness box to support his defence.*

19. उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधिक स्थिति के प्रकाश में धारक के पक्ष में चैक के विधिक दायित्व के सन्दर्भ में निष्पादन किये जाने की उपधारणा की जायेगी। अभियुक्त द्वारा इस उपधारणा को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य से खण्डित किया जा सकता है या इसे परिवादिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भी अधिसम्भाव्यता की प्रबलता के आधार पर खण्डित किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा केवल तथ्यों का इनकार करना उपधारणा खण्डन हेतु पर्याप्त नहीं होगा। न्यायालय द्वारा उपधारणा खण्डन हेतु प्रत्यक्ष साक्ष्य की अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिये। अभियुक्त को उपधारणा खण्डन हेतु ऐसे तथ्य अभिलेख पर लाने होंगे जो प्रतिफल के होने को ही असम्भव बना दे या उसके अस्तित्वमान नहीं होने को इतना प्रबल बना दे कि मामले की विशेष परिस्थितियों में एक प्रज्ञावान व्यक्ति प्रतिफल को

अस्तित्वमान नहीं होने को अधिसम्भाव्य समझे।

20. अब न्यायालय को इस बात पर विवेचन करना है कि क्या अभियुक्त उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में प्रतिफलार्थ चैक के निष्पादन के सन्दर्भ में उपधारणा को खण्डित करने में सफल हुआ अथवा नहीं। इस हेतु अभियुक्त द्वारा अपने बचाव साक्ष्य में हनुमान प्रसाद को गवाह डी.डब्ल्यू–01 के रूप में तथा बी.आर. राहिला को गवाह डी.डब्ल्यू–2 के रूप में तथा ओमप्रकाश शर्मा को गवाह डी.डब्ल्यू–3 के रूप में तथा स्वयं को गवाह डी. डब्ल्यू–4 के रूप में परीक्षित करवाया।

गवाह डी.डब्ल्यू–1 *का अपनी मुख्य परीक्षा में कथन रहा है कि वह विजय सिंह व राकेश शर्मा जी को जानता है। वह कल्पना जी को नहीं जानते। राकेश जी की पत्नि के नाम से कोई प्लॉट राकेश जी ने खरीदा हुआ था। वह प्लॉट बेचने विजय सिंह जी के पास आये थे। विजय सिंह जी ने राकेश जी को चैक दे दिया और बोला कि प्लॉट मौके पर नापकर मुझे संभला देना और अपना चैक लगा देना। मौके पर राकेश जी ने प्लॉट नापकर संभलाया नहीं और कब्जा नहीं दिया। इसलिए विजय सिंह ने मना कर दिया कि जब मौके पर कब्जा ही नहीं दिया तो चैक वापस दे दो मैं पैसे किस चीज के दूं तथा राकेश जी ने चैक वापस नहीं दिया। दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाह ने कथन किया कि चैक किस तारीख का दिया था उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि 5–6 साल पुरानी बात है। विजय सिंह जी प्लॉट खरीदने–बेचने का काम करते थे। विजय सिंह जी जमीनों के मामलों में जेल गए होंगे।* ***गवाह डी. डब्ल्यू–2*** *बी.आर. राहिला ने भी दौराने मुख्य परीक्षा व दौराने प्रतिपरीक्षण समान कथन किये हैं।* ***गवाह डी. डब्ल्यू–3*** *ओमप्रकाश शर्मा ने दौराने प्रतिपरीक्षण कथन किया कि 2015–16 में राकेश जी 2–3 बार विजय जी के ऑफिस में आये थे। राकेश जी के प्लॉट बेचने के सम्बन्ध में मेरे सामने कोई लिखा–पढ़ी नहीं हुयी थी। मेरे सामने कोई चैक नहीं दिया गया। इस बात की मुझे जानकारी नहीं कि कल्पना शर्मा ने विजय सिंह जी से कोई प्लॉट खरीदा हो और उस प्लॉट के बदले विजय*

सिंह जी ने कोई दूसरा प्लॉट दिया हो और दोनों के अन्तर की राशि 20 लाख रुपये का उन्हें चैक दिया हो। मैंने किस बैंक का चैक था नहीं देखा, ना ही ये पता कि कितने का किसने दिया इस बात की मुझे जानकारी है। ***गवाह डी.डब्ल्यू–4*** *विजय सिंह ने दौराने जिरह कथन किया कि प्रदर्श पी–1 चैक मैंने हस्ताक्षर के अलावा कोई भी इबारत नहीं भरी खाली चैक दिया था। इस चैक से सम्बन्धित मैंने कोई लिखा–पढ़ी नहीं की न ही कोई प्लॉट खरीदने बाबत् दस्तावेज तैयार करवाया। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला इस कारण मैंने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06–06–2018 में मेरे हस्ताक्षर है और इस आदेशिका में राजीनामे की वार्ता की गयी और आगामी पेशी पर पांच लाख रुपये अदा करने का आश्वासन दिया था ये बात सही है। मैं जमीनों के मामलों में कई बार जेल जा चुका हूं। उक्त चैक मैंने मरी मर्जी से दिया था मेरे उपर कोई दबाव नहीं था।* उक्त गवाहों ने दौराने बयान कहीं भी इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है कि उक्त चैक अभियुक्त द्वारा परिवादिया को नहीं दिया गया था या चैक पर हस्ताक्षर अभियुक्त के नहीं है। समस्त गवाहों द्वारा उक्त चैक के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होना जाहिर किया गया। यहां तक कि अभियुक्त द्वारा अपने बयानों में इस सम्बन्ध में कोई विशेष कथन नहीं किया गया है। यदि उक्त चैक अभियुक्त द्वारा अपने विधिक दायित्व के भुगतान पेटे परिवादिया को नहीं दिया गया था तो किसी सन्दर्भ में उक्त चैक परिवादिया को प्रदान किया गया इस सन्दर्भ में अभियुक्त द्वारा दौराने बयान कोई कथन नहीं किया गया। दौराने बयान अभियुक्त ने खाली हस्ताक्षरशुदा चैक परिवादिया को देना स्वीकार किया है।

21. इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2012(2) R.Cr.D. 360 (Raj.) Firm M/s Kanahiya Lal Ghamandi Lal vs Subhash में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 139 की उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की है एवं यदि अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का खण्डन किया जाता है तो दायित्व

परिवादी पर अन्तरित हो जाता है। परन्तु उक्त खण्डन के आधार सुदृढ़ होने चाहिए, केवलमात्र मौखिक कथन करने से उपधारणा का खण्डन नहीं माना जा सकता।

22. अभियुक्त द्वारा अपने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परीक्षण के दौरान कथन किया कि ''मैं निर्दोष हूं। झूंठा फंसाया गया है।'' अभियुक्त की ओर से उक्त अभिवाक् के संबंध में परिवादिया से कोई जिरह नहीं की गयी है। उक्त कथन धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत होकर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। उक्त कथनों के संदर्भ में समपोषक साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक है जो कि अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दौराने बहस लिये गये बचाव किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Kumar export V/s Sharma Carpets (2009)2 SCC 513 में यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि :—**

> *"The accused may adduce direct evidence to prove that the note in question was not supported by consideration and that was no debt ot liability to be discharged by his. However the court need not insist in every case that the accused should disprove the non-existence of consideration and debt by leading evidence because the existence of negative evidence is neither possible nor contemplated. At the same time, it is clear that bare denial of the passing of the consideration and existence of debt, apparently would not serve the purpose of the accused. Something which is probable has to be brough on record for getting the burden of proof shifted to the complainant"*

24. उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा के सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त द्वारा मात्र यह कथन करना कि वह किसी विधिक दायित्व अथवा ऋण का अधिकारी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष

ऐसी परिस्थितियों अथवा तथ्यों को दर्शित करना होता है जिससे अभियुक्त के पक्ष में सम्भावना का सृजन हो एवं सम्भावनाओं की प्रतिपादना के आधार पर अनुकूल उपधारणा का खण्डन होता हो। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य एवं परिस्थितियां सामने नहीं आई हैं जिससे परिवादिया के पक्ष में सृजित उपधारणा का खण्डन माना जा सकता हो एवं परिवादिया पर सबूत का भार पुनः आता हो। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का यह अभिमत है कि परिवादिया के पक्ष में धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा अखंडित रही है एवं परिवादिया द्वारा प्रश्नगत चैक विधिक दायित्व के निर्वहन हेतु ही प्राप्त किया गया था।

25. अब न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का विनिश्चय किया जाना है कि क्या उक्त चैक अपर्याप्त निधि या समवर्ती कारणों से अनादरित हुआ। इस बिन्दु के सन्दर्भ में पत्रावली पर रिटर्न मीमो प्रदर्श पी–2 उपलब्ध है जिसके अवलोकन से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि प्रदर्श पी–2 चैक संख्या 011501 दिनांक 21–12–2016 को अपर्याप्त निधि के आधार पर अनादरित हुआ था ऐसे में उक्त रिटर्न मीमो प्रदर्श पी–2 का अनादरण धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अर्न्तगत अपर्याप्त निधि के आधार पर होना स्पष्ट है।

26. अतः अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय के अभिमतानुसार परिवादिया, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रही है कि परिवादिया को अभियुक्त ने विधिक दायित्व के निर्वहन पेटे चैक सं. 011501 प्रदर्श पी.–1 दिया जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त द्वारा परिवादिया को विधिक दायित्व के निर्वहन पेटे जारी किया जाना प्रमाणित है और उक्त चैक बैंक में समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त निधि के रिमार्क के साथ अनादरित होना रिटर्न मीमो प्रदर्श.पी.–2 से प्रमाणित है तथा अभियुक्त को विधिक नोटिस प्रेषित किये जाने का तथ्य विधिक नोटिस की प्रति प्रदर्श पी–3 व रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श. पी.–4, प्राप्ति

स्वीकृति रसीद प्रदर्श पी–5 के आधार पर प्रमाणित है। इस प्रकार परिवादिया अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उसके द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुति से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना की गयी है एवं जिस विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे उसे विवादित चैक अभियुक्त द्वारा जारी किया गया था उसकी राशि अभियुक्त द्वारा उसे नहीं लौटायी गयी है। इसके विपरीत अभियुक्त प्रकरण में उसके विरूद्ध प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से परिवादिया के पक्ष में उत्पन्न उपधारणा अन्तर्गत धारा 118 एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम को खण्डित करने में असफल रहा है।

27. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादिया विचारणीय प्रश्न के संबंध में आरोपित अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा 138 एन.आई. एक्ट में दोषसिद्ध करना न्यायोचित है।

आदेश

28. अतः अभियुक्त **विजय सिंह कुलहरी पुत्र श्री नाहर सिंह कुलहरी,** निवासी–73, शिवाजी नगर, सिविल लाईन, पुलिस थाना सोडाला, जयपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् लिये गए जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है।

(सुनीता यादव)
विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट,
(एन.आई.एक्ट प्रकरण)क्रम 13,
जयपुर महानगर द्वितीय

सजा के बिन्दु पर सुना

29. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम अपराध है तथा करीब 06 साल से अन्वीक्षा भुगत रहा है। मामला समन प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का

लाभ दिया जावे। जबकि परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, अभियुक्त से चैक राशि प्राप्त करने के लिए परिवादिया को न्यायालय में चक्कर लगाने पड़े है। आज समस्त अर्थ व्यवस्था चैक पर आधारित है अतः चैक की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जावे।

30. उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा परिवीक्षा अधिनियम का अवलोकन किया। धारा 138 एन.आई. एक्ट में विपक्षी को चैक अनादरण के पश्चात् सूचना हेतु एवं राशि की मांग बाबत् विधिक नोटिस प्रेषित करने एवं उसकी प्राप्ति से एक माह का समय इसी आशय से दिया गया है कि विपक्षी को एक अवसर प्राप्त हो सके कि यदि उसका दायित्व बनता है तो वह उक्त राशि जमा कर दायित्व से उन्मोचित हो सके। यदि विहित अवधि में ऐसा नहीं किया जाता है तो ही कॉज ऑफ एक्शन अराईज होता है। अतः दोषसिद्धि पर परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। परिवादिया को चैक राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आना पड़ा है तथा चैक अनादरण के बढते अपराधों एवं इससे समाज व देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव का देखते हुए तथा इस प्रकरण की तथ्य—परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देना न्यायोचित नहीं है।

दण्डादेश

31. **अभियुक्त विजय सिंह कुलहरी पुत्र श्री नाहर सिंह कुलहरी,** निवासी—73, शिवाजी नगर, सिविल लाईन, पुलिस थाना सोडाला, जयपुर को अपराध धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के आरोप में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप :—

1. अभियुक्त **विजय सिंह कुलहरी पुत्र श्री नाहर सिंह कुलहरी,** को **01 वर्ष के साधारण कारावास तथा 30,00,000/—रूपये (तीस लाख रुपये)** के प्रतिकर से दण्डित किया जाता है, प्रतिकर राशि अदा नहीं करने की सूरत में अभियुक्त **03 माह** का साधारण कारावास मूल सजा कि समाप्ति पर पृथक से भुगतेगा।

2. अभियुक्त द्वारा प्रतिकर की राशि जमा कराने अथवा वसूल होने की स्थिति में बाद गुजरने मियाद अपील एवं रिविजन, प्रतिकर की सम्पूर्ण राशि परिवादिया को

दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

3. अभियुक्त का सजा वारण्ट तैयार हो।

4. अभियुक्त ने इस प्रकरण में यदि पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में कोई अवधि बिताई हो तो वह मूल सजा में समायोजित की जावे।

5. निर्णय की एक प्रति धारा 363 दण्ड प्रकिया संहिता की पालना में अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

6. अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(सुनीता यादव)
विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट,
(एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–13,
जयपुर महानगर द्वितीय

32. निर्णय आज दिनांक 24–04–2023 को लिखाया जाकर (पेज स. 1 लगायत 17) बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता यादव)
विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट,
(एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–13,
जयपुर महानगर द्वितीय